कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड गोण्डा

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या –01 / 2022–23

महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रमुख अभियन्ता (यॉ0) सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ के अधीनस्थ नलकूप (पूर्व) परिक्षेत्र के नलकूप मण्डल गोण्डा के नियन्त्रणाधीन नलकूप खण्ड गोण्डा से सम्बन्धित उपलब्ध निष्प्रयोज्य सामग्री तथा पी0सी0सी0 कोटेड जला हुआ तॉबे का तार, जला हुआ तॉबे का तार स्क्रैप एवं गन मैटल की सार्वजनिक नीलामी तालिका मे अंकित तिथि को नलकूप खण्ड गोण्डा के कार्यालय परिसर मे की जायेगी।

बोलीदाताओं को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। सार्वजनिक नीलामी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 नियम 260 ए के परिशिष्ट 19डी मे उल्लिखित नियम व शर्तों के अधीन होगी। इच्छुक व्यक्ति / फर्म को नीलामी की नियत तिथि दिनॉक 13.09.2022 को प्रातः 10.30 वजे से अपराह्न 12.00 बजे तक उक्त लाट के लिए निर्धारित टोकन मनी की धनराशि नकद जमा करनी होगी तथा उसी दिन अपराह्न 13.00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। नियमानुसार नियत तिथि को सूची मे अंकित व्यक्ति / फर्म को ही बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। नीलामी मे कोई भी एक बोली अथवा समस्त बोली विना कारण बताये अस्वीकार / निरस्त करने का अधिकार नीलामीकर्ता अध्यक्ष के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा एवं अंकित सामग्री की मात्रा को घटाया / बढ़ाया जा सकता है।

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	लाट संख्या	सामाग्री का नाम	मात्रा (कि0ग्रा0)	टोकन मनी	नीलामी की प्रस्तावित तिथि
1	2		3	4	5	6
1	नलकूप खण्ड गोण्डा	01	पी0वी0सी0 कोटेड जला हुआ तॉबें का तार	1161.90	11,000.00	13–09–2022
2		02	जला हुआ तॉबे का तार स्क्रैप	161.45	2,000.00	
3		03	गन मैटल स्क्रैप	291.60	3,000.00	

नीलामी की संक्षिप्त शर्ते निम्नवत हैः–

1– नीलामी मे भाग लेने हेतु आवश्यक नीलामी प्रपत्र दिनॉक 11–08–2022 से 09–09–2022 तक किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में नीलामी प्रपत्र प्राप्त कर / भरकर दस्तावेज सहित दिनॉक 09–09–2022 तक कार्यालय समय में जमा करना होगा, जिसकी जॉचोपरान्त बोलीदाताओं की सूची दिनॉक 13–09–2022 को निर्गत की जायेगी तथा उसी दिन अपराह्न 13.00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

2– नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का GST/TIN Noहोना आवश्यक है।

3– नीलामी मे भाग लेने से पूर्व उक्त लाट की नीलामी के लिए दिनॉक 13–09–2022 को तालिका मे अंकित टोकन मनी (धनराशि) के साथ GST/TIN Registration की प्रति संयोजन सहायक अभियन्ता, प्रथम नलकूप खण्ड गोण्डा के पास जमा करके टोकन प्राप्त करना होगा। केवल एक टोकन धारक ही नीलामी मे भाग ले सकेंगे। यह धनराशि नीलामी समाप्त होने पर समायोजित / वापस कर दी जायेगी।

4– नीलामी का विवरण बेवसाइटwww.Gonda.nic.in तथा सिंचाई विभाग की www.idup.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

5– सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस / कार्य अवधि मे नलकूप खण्ड गोण्डा के स्टोर मे किया जा सकता है

6– सामानों की उपरोक्त मात्रायें अनुमानित हैं तथा यह घट / बढ़ सकती हैं।

7– सामानों की नीलामी जहॉ है के आधार पर की जायेगी तथा उच्चतम् बोली दाता द्वारा GST अतिरिक्त देय होगा।

8– उच्चतम बोलीदाता को सामान के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप मे नीलामी प्राप्त होने के पश्चात उसी दिन अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड गोण्डा के पक्ष मे नलकूप खण्ड गोण्डा के कार्यालय मे जमा करना होगा, अन्यथा टोकनमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और नीलामी द्वितीय उच्चतम बोलीदाता अथवा तदानुक्रम मे अगले बोलीदाता के पक्ष मे की जा सकती है।

9– नीलामी की विस्तृत शर्ते नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व नीलामी स्थल पर सूचित की जायेंगी।

10–नीलामी के उपरान्त उच्चतम बोली दाता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सामग्री की शेष धनराशि GST एवं अन्य करों के साथ जमा करने के उपरान्त ही भण्डार से सामग्री निर्गत की जायेगी। उक्त के सम्बन्ध मे कोई भी जानकारी अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस मे प्राप्त की जा सकती है।

(नन्द लाल)
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड गोण्डा

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड गोण्डा

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

पत्रॉक :2816 न0ख0गो0/निष्प्रयोज्य सामग्री/ दिनॉक 08.08.2022

विषयः सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या–01/2022–23 का प्रकाशन समाचार पत्रों मे कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नलकूप खण्ड गोण्डा मे निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी से सम्बन्धित सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या–01/2022–23 छः प्रतियों मे सी0डी0 सहित इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि इस सूचना का प्रकाशन लखनऊ/गोण्डा मे प्रकाशित दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों मे चार दिनो के अन्तराल मे प्रकाशित करा ने का कष्ट करें तथा समाचार पत्रों की एक–एक प्रति इस कार्यालय को रिकार्ड हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

नीलामी सूचना छः प्रतियों में सी0डी0 सहित

भवदीय

(नन्द लाल)
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड गोण्डा

पत्रॉकः :2816 /न0ख0गो0/ तदिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख अभियन्ता (यॉत्रिक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
2– जिला अधिकारी महोदय, गोण्डा।
3–मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 फैजाबाद।
4– वित्त नियन्त्रक, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल, गोण्डा।
6–अधीक्षण अभियन्ता, सूचना प्रणाली संगठन कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को मय सी0डी0, नीलामी सूचना सिंचाई विभाग की बेवसाइट www.idup.gov.inपर अपलोड करने हेतु।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा।
8– अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड 1,2,3,4,5, ड्रेनेज एवं बाढ़ खण्ड, गोण्डा।
9– खण्डीय लेखाधिकारी, नलकूप खण्ड गोण्डा।
10–सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ नलकूप खण्ड, गोण्डा।
11– नोटिस बोर्ड हेतु।

(नन्द लाल)
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड गोण्डा